

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि०
(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर
एफ 204-224,रीको,उद्योग विहार,श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)

फोन नं.-0154-2494411 / 2494415

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र शुल्क रू० 500/- : रसीद क्र०.....दि०.....
2. निविदा प्रपत्र बिक्री की अन्तिम तिथि : 13.07.2020 समय 12.00 A.M
3. निविदा प्राप्ति दिनांक एवं समय : 13.07.2020 समय 1.00 P.M
4. निविदा खोलने का दिनांक एवं समय : 13.07.2020 समय 2.00 P.M
5. निविदा खोलने का स्थान : तिलम् संघ परियोजना उद्योग विहार श्री गंगानगर
6. पार्टी का पूरा नाम व पता :
7. दूरभाष / फ़ैक्स / मोबाईल नं० :
8. निविदा प्रपत्र जारी करने की दिनांक :

निविदा प्रपत्र जारीकर्ता
के हस्ताक्षर

9. निविदा वस्तु:-डी. डबलू जूट बैग
10. धरोहर राशि हेतु रू० 7000/- ड्राफ्ट / आरटीजीएस क्रमांकदिनांक.....
..... संलग्न है।
11. इस निविदा प्रपत्र में निम्न शामिल है :

परिशिष्ट-1- प्रश्नवाली

परिशिष्ट-2- स्पेशिफिकेशन

परिशिष्ट-3- निविदा शर्तें

हस्ताक्षर निविदादाता

मय नाम, पद, सील आदि

प्रश्नावली

1. फर्म का नाम :
2. फर्म का स्वरूप (राजकीय/लि०कं०
साझेदारी/सरकारी समिति/व्यक्तिगत) :
3. संस्थापना का वर्ष :
4. पंजीयन संख्या :
5. जी एस टी न. :
6. पंजीकृत पता :
7. दूरभाष नं०/मोबाईल नं० :
8. शाखाओं का पता :
अ. निदेशकों के नाम यदि कं० है तो :
ब. साझेदारों का नाम :
स. व्यवसायी का नाम :
9. स्थायी आयकर संख्या :
10. बैंक का नाम व पता :
11. खाता संख्या व स्वरूप :
12. कार्य का अनुभव :

हम प्रमाणित करते हैं कि जो भी सूचना हमारे द्वारा दी गई है वह सत्य है एवं हमारी रोकड़ व जानकारी के अनुसार सही है। यदि उक्त सूचना में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो वह निविदा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर
मय नाम एवं पूर्ण पता

P.P. Woven Bag for certified Seed Packing

“Specifications”

Product	:	<u>P.P. woven Bags (without Lamination)</u>
Size	:	22” x 34”
Weight	:	105 +/-5 gram per bag
Capacity	:	40 kg. (Minimum) For Wheat, gram]
Stitching	:	Inter Lock stitch
Printing	:	Two colours screen printing on both sides as per design provided
Quantity	:	18000 +/- 5% Nos
E.M.D.	:	Rs.7000/-
Security Amt.	:	Rs 14000/-
Required Validity of Tender’s offer	:	Six month from the date of tender
Required supply period	:	10 days from the date of issue of P.O.
Note	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rate must be quoted on FOR plant basis 2. Taxes and levies, if applicable, must be mentioned separately but included in FOR rates. 3. The party, quoting the rates, should be genuine Manufacturer /Reputed supplier. 4. One sample is to be got approved from the plant authorities before the complete manufacturing/supplies in order to avoid inconvenience/financial losses to the party.

General Manager

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि०

(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर

एफ 204-224,रीको,उद्योग विहार,श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)

फोन नं.-0154-2494411 / 2494415

परिशिष्ट-3

निविदा एवं संविदा की शर्तें

निविदा भरने वालों के लिए अपने कोटेशन भरते समय इन शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। इस अनुबन्ध में राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) श्रीगंगानगर परियोजना को 'परियोजना' सम्बोधित किया जावेगा एवं निविदाकार को 'निविदादाता' सम्बोधित किया जावेगा।

1. निविदा को ठीक प्रकार से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके जैसा कि निविदा सूचना में निर्देशित किया गया है परियोजना में निर्धारित बाक्स में डालना आवश्यक है। लिफाफे के उपर DW जूट बैग सामग्री के लिए निविदा व निविदादाता फर्म का नाम व पता साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
2. दरों की यूनिट का किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तथा दरों का इन्द्राज अंकों व शब्दों में किया जाना चाहिए। इस निविदा में वर्णित मात्रा/संख्या को कम/ज्यादा मात्रा/संख्या में उपकरण/सामग्री क्रय करने का अधिकार तिलम् संघ को रहेगा तथा इस स्थिति में सामान्यतः सफल निविदादाता को दरें कम/ज्यादा करने का अधिकार नहीं होगा।
3. निविदा केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिए जो अधिकृत वितरक/स्टॉकिस्ट/एजेन्ट हो तथा वास्तव में उस सामान को बेचते हो जिसके लिए उन्होंने निविदा दी है।
4. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे करवायेगा।
5. सप्लाय से अभिप्राय सामग्री का वर्णित मेक व स्पेशिफिकेशन नई अच्छी हालत में होना चाहिए।
6. सामग्री में वर्णित मेक, स्पेशिफिकेशन, केटलॉग नं०, आयाम व अन्य विवरणानुसार नई अच्छी व चालू हालत में न होने पर अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा ऐसी सामग्री को सप्लायर्स को स्वयं अपने खर्चे पर संयंत्र से निर्देशित अवधि के अन्दर हटा कर नई सप्लाय करनी होगी। यदि कार्यालय कार्य हित या आवश्यकता के कारण उन्हें परिवर्तित करना संभव नहीं हो तो ऐसे माल की कीमत उचित रूप में कम कर दी जायेगी। खरीद करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की गई कीमतें अन्तिम व मान्य होगी। वर्णित मेक/स्पेशिफिकेशन की सामग्री उपलब्ध न होने की विशेष दशा में कार्यालय अन्य मेक परन्तु समान गुणवत्ता की सामग्री स्वविवेक या उस मेक की प्रभावी कीमत व स्वीकार कर सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता अपनी तरफ से परितर्वतन या अपरिवर्तन की मांग का कर्त्तई हकदार नहीं होगा।
7. अस्वीकृत किया गया माल इसके अस्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से निविदादाता द्वारा उस स्थान से निर्देशित अवधि के अनुसार परियोजना संयंत्र से माल उठा/हटा दिया जाना चाहिए। कार्यालय ऐसे माल की उचित सम्भाल के लिए सावधानी बरतेगा लेकिन वह किसी भी दशा में उस हानि/किमी/नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो कि उस वस्तु के परियोजना में पड़े रहने पर होगा।
8. निविदादाता माल को ठीक प्रकार से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे रेल एवं सड़क द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान नहीं हो सके तथा माल अच्छी दशा में परियोजना में प्राप्त किया जा सके। किसी प्रकार की हानि, टूट-फूट, लीक या अन्य कमी की

- घटना में निविदा देने वाले को माल प्राप्तकर्ता द्वारा उस माल का निरीक्षण करने में जो भी इस प्रकार की हानि/कमी पाई जायेगी उसे पूरा करना होगा।
9. सभी कथित दरें एफओआर राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) श्रीगंगानगर परियोजना होनी चाहिए तथा दरों में माल का मूल्य, जीएसटी व अन्य कर स्पष्ट या अलग अलग अंकित किये जाने चाहिए। कार्यालय द्वारा उनके लिए कोई भी भाड़ा व्यय नहीं किया जायेगा।
 10. सफल निविदादाता को माल की सप्लाई निविदा प्रपत्र/क्रय आदेश में दर्शाई अवधि के अन्दर करने की व्यवस्था करनी होगी। निविदा में दर्शाई गई मात्रा अनुमानित है। आपूर्ति कार्यालय की आवश्यकतानुसार करनी होगी। चाही गई अवधि में माल उपलब्ध न कराने की स्थिति में जरूरत पड़ने पर संस्थापन हित में अन्य किसी श्रोत से उक्त माल खरीदने का परियोजना को पूर्ण अधिकार होगा तथा जिसका हर्जा खर्चा सफल निविदादाता के खाते में नामे लिख दिया जायेगा जो उसे मान्य होगा।
 11. निविदादाता द्वारा समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने, निर्धारित मापदण्ड की सामग्री सप्लाई नहीं करने या अन्य किसी भी कारण जिससे परियोजना के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े पाये जाने पर बिना कोई पूर्व नोटिस दिये क्रय आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी जो निविदादाता को मान्य होगी।
 12. निविदा देने वाले को निविदा प्रपत्र के हर पृष्ठ के अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रभाव में हस्ताक्षर करने होंगे।
 13. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रानुसार आवश्यक धरोहर राशि आरटीजीएस/ड्राफ्ट रूप में भेजने चाहिए/एक से अधिक आइटम के लिए निविदा देने पर उन आइटमों के सम्मुख दर्शित धरोहर राशियों के योग के बराबर धन राशि आरटीजीएस/ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। धन राशि राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) श्रीगंगानगर परियोजना के पक्ष में नगद या ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी चाहिए।
 14. सप्लाई किये जाने वाले सामान का सम्पूर्ण विवरण जैसे मेक, स्पेशिफिकेशन, मात्रा, संख्या संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होगा।
 15. फर्म को भुगतान हेतु राशि भेजने में जो भी व्यय होगा वह निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
 16. यदि सफल निविदादाता विवरणानुसार तथा क्रय आदेश में अंकित की गई अवधि में माल सप्लाई करने में असफल रहता है। तो क्रय कर्ता अधिकारी पुनः निविदा आमंत्रित करके अथवा अन्य प्रकार से सप्लाई की व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा।
 17. परियोजना किसी भी निविदा को स्वीकार करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकारे। निविदा द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा पर वस्तुओं में से परियोजना के अनुसार सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।
 18. निविदादाता परियोजना द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता प्रतित हो तो उसे श्रीगंगानगर स्थित न्यायालय में चलाया जा सकेगा न की अन्यत्र।
 19. प्रत्येक सामग्री के विभिन्न मेक/ब्राण्ड की दर अलग-अलग रूप से अंकित की जानी चाहिए। मेक व दरें स्पष्ट न होने पर निविदा अस्वीकार की जा सकती है।
 20. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समय में माल उपलब्ध कराने असमर्थ रहता है तो क्रय अधिकारी अपनी इच्छा से समयावधि में वृद्धि कर सकता है बशर्ते की निविदादाता क्षतिपूर्ति करने को सहमत हो। निम्नांकित दर के अनुरूप सप्लाई किये जाने वाले सामान में से जिस मात्रा का सामान सप्लाई किये जाने में जिस अवधि की असफलता रही उसके लिए माल की कीमत के आधार पर निम्नानुसार वसूली की जायेगी।

- अ. निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर 2.5 प्रतिशत
 ब. निर्धारित अवधि से 1/5 से अधिक पर 1/2 भाग तक 5 प्रतिशत
 स. निर्धारित अवधि से 1/2 से अधिक पर 3/7 भाग तक 7.5 प्रतिशत
 द. निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक 10 प्रतिशत

निविदा ठीक तरह से लिफाफे में मोहरबन्द होकर उस पर उचित रूप से संबंधित वस्तु के लिए निविदा लिखा जाकर पेश किया जाना चाहिए एवं उसे महा प्रबन्धक, तिलम् संघ राजस्थान, श्रीगंगानगर परियोजना, श्रीगंगानगर को सम्बोधित किया जाना चाहिए जो कि निर्धारित समय तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी दी जा सकती है।

21. अपूर्ण अथवा निर्देशित तरीके से न भरी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक व पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार महा प्रबन्धक राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) श्रीगंगानगर परियोजना के पास सुरक्षित है।
23. परियोजना द्वारा निविदादाता को किसी भी प्रकार के अग्रिम देय नहीं होंगे। बिलों का भुगतान वास्तव में माल प्राप्ति तथा उसके गुणवत्ता निरीक्षण के पश्चात ही किया जायेगा (डॉक्यूमेन्ट बैंक अथवा अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा)।
24. गारन्टी अवधि के अन्दर किसी भी सामग्री में कोई दोष उत्पन्न होता है तो सप्लायर को बिना किसी हर्जे खर्चे के दोष रहित सामग्री प्रदान करनी होगी।
25. परियोजना को आपकी दुकान में अपना प्रतिनिधि भेजकर सामग्री का पूर्ण निरीक्षण, ट्रायल का अधिकार होगा।
26. सामग्री की आपूर्ति परियोजना की आवश्यकता व आदेश के अनुसार करनी होगी, जिससे निविदादाता को समय-समय पर सूचित किया जाता रहेगा। आवश्यकतानुसार परियोजनाओं द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न सामग्री अलग-अलग मात्रायें एक मुश्त अथवा निर्धारित किस्तों में आपूर्ति करने हेतु निविदादाता को आदेश दिये जा सकते हैं।
27. निविदादाता को (यदि वह सामग्री का मूल निर्माता नहीं है) सामग्री के मूल निर्माता के अधिकृत डीलर/स्टोकिस्ट/एजेन्ट होने का चालू वर्ष का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामग्री की प्रभावी मूल्य सूची भी संलग्न करना अनिवार्य है।
28. किसी भी बिन्दू पर विवाद की स्थिति पर परियोजना महा प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
29. इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें तिलम् संघ के नियमानुसार मान्य होगी।
30. उपरोक्त शर्तें परियोजनाओं द्वारा आवश्यकतानुसार घटाई, बढ़ाई जा सकती है जो कि निविदादाता को मान्य होगी।
31. उपरोक्त समस्त शर्तों को मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है और मुझे सभी शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
 नाम
 पता
 दूरभाष संख्या

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि०
(तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर
एफ 204-224,रीको,उद्योग विहार,श्री गंगानगर 335002 (राजस्थान)
फोन न.-0514-2494411 / 2494415

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि० (तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर हेतु डी. डब्लयु जूट बैग आपूर्ति हेतु दरें

क्रम सं.	सामग्री का विवरण	दर प्रति बैग
1	<u>P.P. woven Bags (without Lamination)</u>	-----रु

घोषणा

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि० (तिलम् संघ) परियोजना श्री गंगानगर द्वारा प्रकाशित निविदा के अनुसार जारी किये गये इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट एक, दो एवं तीन में उल्लेखित सभी शर्तें जो कि निविदा प्रपत्र का अभिन्न अंग है को भली भांति पढ/समझली है। हमने सभी शर्तें पूर्ण स्वीकार करली है एवं उन्हें मानने के लिए बाध्य है। इसके पश्चात ही आज दिनांक.....समय.....बजे निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम, पद, सील आदि